# नगरपालिका परिषद, रामनगर (नैनीताल)।
## आबटंन शरायते–खय्याम बार स्थित शौचालय
## वित्तीय वर्ष (2024–2026)

1. ठेका आबंटन हेतु सीलबन्द कोटेशन पंजीकृत डाक द्वारा ही प्राप्त किये जायेगें।
2. कोटेशन के साथ काटेशनदाता व्यक्ति/संस्था/फर्म को निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने अनिवार्य होगें।
   - आधार कार्ड
   - पेंन कार्ड
   - राशन कार्ड या ऐसा वैध दस्तावेज जो पारिवारिक सदस्यों की पुष्टि करता हों।
   - कोटेशन धनराशि के 10 प्रतिशत का अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय एफ0डी0आर0 (मूल रूप में) जमानत धनराशि के रूप में।
   - कोटेशन धनराशि के साथ 50 प्रतिशत धनराशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट (मूल रूप में) अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद रामनगर के नाम से देय हो।
   - कोटेशनदाता को नगरपालिका रामनगर द्वारा निर्गत अदेयता प्रमाण पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. ठेका स्वीकृत होने की दशा में सफल कोटेशनदाता को 07 दिवस के भीतर कुल स्वीकृत निविदा धनराशि का 1/2 भाग पालिका कोष में जमा क़रना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
4. ठेके की शेष धनराशि 31 दिसम्बर 2024 एवं 31 जुलाई 2025 को दो समान किस्तों में जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) POST DATED CHEQUE नगरपालिका कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होगें जिन्हें किस्त जमा न होने की स्थिति में पालिका कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैको का अनादर (चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. उच्चतम निविदादाता/कोटेशनदाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 02 प्रतिशत) नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के आदेश पत्र सं0–375/म0निनि0/2012–13 दिनांक 13 जुलाई 2012 के अन्तर्गत ठेके की राशि के 02 प्रतिशत की दर से देय होगा।
6. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
7. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तो के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
8. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।

Scanned with OKEN Scanner

9. ठेकेदार को मा0 न्यायालय/शासन/प्रशासक/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका रामनगर द्वारा समय–समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

10. स्वीकृत निविदादाता के कर्मचारियों को कोविड–19 के दृष्टिगत निम्न सावधानियाँ अपनाया जाना अनिवार्य होगाः–

    1. सैनेटाइजर, मास्क ग्लब्स, फेस शील्ड आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
    2. सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।
    3. सभी कार्मिक प्राप्त धनराशि को पृथ बैग में रखना सुनिश्चित करेंगे।
    4. समय–समय पर साबुन/हैण्डवाश से हाथ धोते रहेंगे।

11. ठेकेदार को शौचालय के उपयोग कर्ताओं से नियमानुसार शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा

**1–शौचालय – 5.00 रू0 (पांच रू0)**
**2–स्नान – 10.00 रू0 (दस रू0)**
**3–मूत्रालय – निःशुल्क**
**4–महिलाओं हेतु शौचालय सेवायें निःशुल्क रहेगी।**

उक्त दरों में अपनी इच्छा से परिवर्तन करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

12. यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक शौचालय में ठेकेदार अपने व्यय से टेलीफोन, लाकर एवं अन्य जन उपयोगी सुविधाएं अपने व्यय–भार पर लगा सकता है।

13. सार्वजनिक शौचालय काम्पलैक्स में विद्युत/जल संयोजन इस पालिका द्वारा अपने व्यय से लगाया जाएगा, प्रतिमाह उपभोग के बिल का भुगतान ठेकेदार को स्वयं सम्बन्धित कार्यालय को करना होगा तथा जमा रसीद की एक छायाप्रति इस पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

14. ठेकेदार को अपने व्यय से सार्वजनिक शौचालय काम्पलैक्स पर एक साईन बोर्ड लगवाना होगा जिसमें शौचालय के उपयोग की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।

15. सार्वजनिक शौचालय काम्पलैक्स की दिवारों अथवा छत को विज्ञापन हेतु किराये पर देने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

16. सार्वजनिक शौचालय के मूल आकार एवं रंग में किसी भी तरह का परिवर्तन करने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा तथा शौचालय काम्पलैक्स में किसी भी तरह का कोई निर्माण ठेकेदार द्वारा नहीं किया जायेगा।

17. सार्वजनिक शौचालय काम्पलैक्स के किसी भी हिस्से के क्षतिग्रस्त होने पर उसकी मरम्मत ठेकेदार को स्वयं अपने व्यय से करवानी होगी।

18. नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी/सफाई निरीक्षक अथवा उनके द्वारा नामित कर्मचारी/अधिकारी को किसी भी समय सार्वजनिक शौचालय काम्पलैक्स के निरीक्षण का अधिकार होगा। निरीक्षण के दौरान कोई भी त्रुटि पाए जाने पर ठेकेदार को शीघ्रतिशीघ्र त्रुटियों का निराकरण करना होगा।

19. सार्वजनिक शौचालय काम्पलैक्स परिसर का उपयोग शौचालय संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु नहीं दिया जायेगा।

20. नगरपालिका परिषद, रामनगर के किसी भी कर व शुल्क के बकायेदार एवं उसके पारिवारिक सदस्यों को (राशन कार्ड में उल्लिखित) ठेके में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।

S.I.

Scanned with OKEN Scanner

21. पावर आफ अटार्नी के आधार पर किसी भी ठेके में बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक की पावर ऑफ अटार्नी रजिस्ट्री विभाग में पंजीकृत न हो।

22. ठेकेदार को खय्याम बार स्थित शौचालय नियमों के अनुरूप निर्धारित दरो पर शुल्क वसूल करने का अधिकार होगा।

23. ठेके के संचालन के सम्बन्ध मे पालिका के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा नियमो के अर्न्तगत दिए गए आदेशो/निर्देशो का ठेकेदार को पूर्ण रूप से पालन करना होगा।

24. ठेकेदार को ठेके की अवधि समाप्त होने के दिनांक 31–03–2026 को ठेके का दखल पालिका को देना होगा अन्यथा ठेके का दखल पालिका स्वयं ले लेगी और इस पर आने वाला खर्च भू–राजस्व की भाँति वसूल किया जाएगा।

25. ठेके की धनराशि जमा न करने पर सम्बन्धित उच्चतम कोटेशनदाता द्वारा पूर्व में कोटेशन के साथ संलग्न जमानत की धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेके की पुनः नीलाम किए जाने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ठेकेदार को इसमें आपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा।

26. दैवीय आपदा या महामारी एवं अन्य कारणों को आधार बनाकर ठेके की धनराशि में छूट चाहने संबंधी क्षतिपूर्ति दावे/प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

27. ठेका बिना किसी कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद का होगा।

28. किसी वाद–विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार रामनगर क्षेत्रान्तर्गत सक्षम न्यायालय में निहित होगा।

29. ठेके की उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर ठेका तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा तथा बकाया धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार से भू–राजस्व की भाँति वसूल की जायेगी।

30. आवंटन प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी, जिसके प्रथम चरण में कोटेशन आमंत्रित किये जायेंगे तथा द्वितीय चरण में प्राप्त उच्चतम कोटेशनदाताओं (अधिकतम पाँच) के मध्य कोटेशन खोले जाने की तिथि को बोली लगाकर, उच्चतम बोली के आधार पर ठेकों का आवंटन किया जायेगा।

31. ठेके की शर्तो का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 5000=00 (पाँच हजार रू0) दूसरी बार में 10,000=00 (दस हजार रू0) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू–राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे–खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

| | | |
|---|---|---|
| कर एवं राजस्व निरीक्षक<br>नगरपालिका परिषद, रामनगर | अधिशासी अधिकारी<br>नगरपालिका परिषद, रामनगर | प्रभारी अधिकारी<br>नगरपालिका परिषद, रामनगर |

Scanned with OKEN Scanner